



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. .NCST/ATY-760/BR/2/2022-APCR

दिनांक : 30.11.2023

सेवा मे,

श्री डी. अमरकेश
पुलिस अधीक्षक
जिला - बेतिया
कलेक्टोरेट रोड, बेतिया - 845438 (बिहार)
ई मेल: sp-bettiah-bih@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के लोगो को झूठे मुकदमे में फ़साने के और पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में - श्रीमती श्वेता देवी, प्रखण्ड - रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण (बेतिया), बिहार का अभ्यावेदन
संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 01.12.2022

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक ने इस प्रकरण में **दिनांक 20.12.2023 को 10:30 AM** बजे आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में मीटिंग तय की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप मामले से संबंधित पूर्ण तथ्यों और सभी प्रासंगिक मूल रिकॉर्ड/दस्तावेजों और की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि और समय पर आयोग के माननीय सदस्य, के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर.मीना)

अनुसंधान अधिकारी

Email ID : researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्रीमती श्वेता देवी,
मुखिया,
ग्राम पंचायत राज सपही मधुबनी
प्रखण्ड - रामनगर,
जिला-पश्चिम चंपारण (बेतिया),
बिहार - 845106